


आपके दावे पर श्रम तथा उद्योग विभाग के निर्णय का प्रतिवाद कैसे करें



प्रतिवाद क्या होता है?

प्रतिवाद एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से आप अपने कर्मकार प्रतिकर दावे के सम्बंध में दिए गए किसी निर्णय के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं। आपका प्रतिवाद आपको निर्णय प्राप्त होने से 60 दिन भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

आपके प्रतिवाद में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- आपका नाम तथा दावा संख्या।
- विभाग के निर्णय की तारीख।
- आपकी असहमति का कारण तथा किसी प्रदाता की रिपोर्ट या कोई अन्य सूचना जो आपके विचार से यह दर्शाती है कि लिया गया निर्णय गलत है।

मैं अपना प्रतिवाद या अपील कहाँ भेजूँ?

- <https://secure.Lni.wa.gov> पर Claim and Account Center (दावा और खाता केंद्र) का उपयोग करके ऑनलाइन प्रतिवाद भेजें (आपको इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पासवर्ड के साथ एक खाता स्थापित करना होगा)। या
- अपना लिखित प्रतिवाद इस पते पर भेजें: Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291। या
- लिखित अपील Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 98504-2401 के पते पर भेजें, या अपनी अपील www.BIIA.wa.gov पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भर कर प्रस्तुत करें। (जब तक कि उद्योग बीमा अपील बोर्ड [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] द्वारा ऐसा करने का आदेश न दिया जाए, Labor & Industries [श्रम तथा उद्योग विभाग] आपके द्वारा उठाए गए सरोकार पर विचार नहीं कर सकता है।)

मेरा प्रतिवाद प्राप्त होने के बाद विभाग क्या कार्रवाई करेगा?

आपके मामले से सम्बंधित दावा प्रबंधक आपके दावे की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई करेगा:

1. मूल निर्णय को बदल देगा। एक नए निर्णय के साथ आपको एक नया पत्र या आदेश, या दोनों, भेजे जाएंगे।
2. यह निर्णय करेगा कि मूल निर्णय सही है। इस बात का उल्लेख करते हुए आपको एक आदेश भेजा जाएगा कि निर्णय सही था। यदि आप फिर भी असहमत हों, तो आप उद्योग बीमा अपील बोर्ड (BIIA) में इस नए आदेश के खिलाफ लिखित अपील कर सकते हैं। अपील भेजने सम्बंधी समय-सीमा और डाक पते का विवरण आदेश में दिया जाएगा।

3. यह निर्णय करेगा कि मामले से सम्बंधित और अधिक सूचना की आवश्यकता है। आपको निर्णय को आस्थगित रखने की सूचना का आदेश, और अधिक सूचना की मांग करते हुए एक पत्र, या दोनों भेजे जाएंगे। दावा प्रबंधक आप से, आपके डॉक्टर से, या आपके नियोक्ता से और अधिक सूचना भेजने का अनुरोध कर सकता है।

और अधिक सूचना की आवश्यकता है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके प्रतिवाद पर निर्णय करने में 30 से 60 दिन या उससे अधिक समय लग सकता है। यदि प्रतिवाद भेजने के 30 दिनों के अन्दर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कृपया अपने दावा प्रबंधक से सम्पर्क करें।

यदि मैं प्रतिवाद या अपील न करूँ, या 60 दिनों के बाद ऐसा करूँ तब क्या होगा?

यदि आप 60 दिन की अवधि के भीतर प्रतिवाद या अपील नहीं करते हैं, तो विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। इसका अर्थ यह है कि आप इस अवधि के बाद निर्णय के खिलाफ प्रतिवाद या अपील नहीं कर सकते हैं।

यदि मैं अपने दावे के सम्बंध में कोई प्रश्न पूछना या किसी सरोकार के सम्बंध में जानकारी लेना चाहूँ, तो मैं किससे सम्पर्क करूँ?

- आपके मामले से विशिष्टतया सम्बंधित प्रश्नों के लिए आप अपने मामले की देखरेख कर रहे दावा प्रबंधक से सम्पर्क करें। आपकी कॉल सम्बंधी सहायता के लिए आपके दावा प्रबंधक के पास भाषान्तरकारों की सुविधा उपलब्ध है।
- दावों से सम्बंधित सामान्य जानकारी के लिए विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1-800-547-8367 पर सम्पर्क करें। इस नम्बर पर सूचना को स्पेनिश भाषा में सुनने का विकल्प उपलब्ध है।

और अधिक सहायता के लिए आप निम्नलिखित निःशुल्क सेवाओं से भी परामर्श ले सकते हैं:

- 1-800-255-9752 पर उपलब्ध Project Help (प्रोजेक्ट हेल्प)। इस सेवा का प्रयोग करने के लिए भाषान्तरण सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है।
- टेलीफोन नम्बर 1-888-201-1014 पर समन्वित कानूनी शिक्षा, सलाह और रैफरल (Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) सेवा। यह सेवा निम्न-आय वर्ग के श्रमिकों को कार्यदिवसों पर सामान्यतया 9:15 पूर्वाह्न से 12:15 अपराह्न तक सलाह उपलब्ध कराती है। जानकारी स्पेनिश भाषा में उपलब्ध है।

प्रोजेक्ट हेल्प या CLEAR से सम्पर्क करने मात्र को विभाग के निर्णय के खिलाफ प्रतिवाद या अपील नहीं माना जाएगा। विभाग के किसी निर्णय को चुनौती देने के लिए इस तथ्य-विवरणिका में बताए गए अनुसार कदम उठाएं।

PUBLICATION F242-363-242 (Hindi) [04-2019]



Washington State Department of
Labor & Industries
Workers' Compensation Services

निश्चिताबाधित (विकलांगता वाले) व्यक्तियों के लिए उपयुक्त अन्य फॉर्मेट अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराए जाते हैं। फोन नम्बर 1-800-547-8367 पर कॉल करें। TDD प्रयोक्ता, 360-902-5797 पर कॉल करें। L&I (श्रम तथा उद्योग विभाग) एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है।